

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)  
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001  
दूरभाष: 0135-2650809  
फैक्स-0135-2653010  
ईमेल- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)



GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE  
CHANGE  
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)  
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001  
PHONE- 0135-2650809  
FAX- 0135-2653010  
Email- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)

फाईल संख्या: 8बी./यू.सी.पी./06/148/2015/एफ.सी./2601

दिनांक: 17/02/2020

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद-बागेश्वर में बिलखेत-गैराड़- भारू-चौबट्टा मोटर मार्ग का ढालन तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.97 है० वन भूमि के संबंध में का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।(FP/UK/ROAD/10596/2015)

सन्दर्भ:-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 1925 / FP/UK/ROAD/10596/2015 दिनांक 03/02/2020.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25/10/2019 द्वारा चाही गई जानकारी पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं की गई है तथा प्रस्तुत उत्तर में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है जिसकी पूर्ति अभी भी राज्य सरकार से अपेक्षित है:-

1. बिन्दु संख्या 02 के प्रतिउत्तर में राज्य सरकार द्वारा प्रेषित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र 5.94 है० के स्थान पर 4.90 है० पाया गया है। सी०ए० क्षेत्र के डी०एस०एस० विश्लेषण के अनुसार, यह क्षेत्र किसी अन्य प्रस्ताव के साथ अतिव्यापी (overlapping with proposal No. FP/UK/ROAD/15673/2015 & FP/UK/ROAD/15675/2015) पाया गया है। अतः राज्य सरकार इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
2. बिन्दु संख्या 03 के प्रतिउत्तर में राज्य सरकार प्रस्तावित ग्राम को दोनों छोर से जोड़ने के बजाय निकटतम बिंदु से जोड़ सकती है। अतः राज्य सरकार तदनुसार प्रस्ताव को पुनरीक्षित कर प्रस्तुत करें।
3. प्रस्ताव की मूल प्रति प्राप्त नहीं हुई है।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)